64072/2023/REGULATION-FSSAI

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244817
CG-DL-E-31032023-244817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945
No. 209] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-05/टी(आईएँफ़आर-02).—कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जब इन प्रारूप नियमों कि राजपत्र की प्रतियाँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव,यदि कोई हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली -110002 को भेजे या regulation@fssai.gov.in पीआर मेल किए जा सकेंगे;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) संशोधन विनियम, 2023 है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020, में,-

(1) विनियम7 में, उप विनियम (1) में, खंड(छ) कीसारिणी मेंक्रम संख्या 34 और सम्बंधित प्रविष्टियो के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"34.	सेलेनियम,µg	5-40	1–8.5";

(2) विनियम 8 में, उप विनियम (1) में, खंड(झ) कीसारिणी मेंक्रम संख्या 11और सम्बंधित प्रविष्टियो के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"11.	सेलेनियम,µg	5-40	1–8.5";

(3) विनियम 9 में, उप विनियम (1) के खंड (च) में, सारिणी में,-

(i) क्रम संख्या 15और सम्बंधित प्रविष्टियो के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

"15.	आयरन, mg	2-5.65	0.40–1.20";

(ii) क्रम संख्या 23 और सम्बंधित प्रविष्टियो के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

"23.	सेलेनियम,µg	5-40	1–8.5";

(4) विनियम 10 में, उप विनियम (1) के खंड (ज) में, सारिणी में,-

(i) क्रम संख्या 17 और सम्बंधित प्रविष्टियो के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

"17.	बायोटिन, µg	7.50-50	1.60–10.60";

(ii) क्रम संख्या 28 और सम्बंधित प्रविष्टियो के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

"28.	मैंगनीज, µg	5-175	1-37.20
		5-400(लेक्टोस मुक्त फॉलो अप फार्मूला के लिए)	1-85.10(लेक्टोस मुक्त फॉलो अप फार्मूला के लिए)";

(iii) क्रम संख्या 29 और सम्बंधित प्रविष्टियो के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

“29.	सेलेनियम,µg	5-40	1–8.5”.

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./737/2022-23]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा.स. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना (आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 4 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात अधिसूचना संख्या स्टैंडर्ड्स/ एसपी-05/टी(आईएफआर-01) दिनांक 31 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किये गए थे ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

F. No. Std/SP-05/T(IFR-02).—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) thereof, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation @fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulation

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Amendment Regulations, 2023.

2. In the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020,-

(1) In regulation 7,in sub-regulation (1), in clause (g), in the table for serial no 34and the entries relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“34.	Selenium,µg	5-40	1–8.5”;

(2) In regulation 8,in sub-regulation (1), in clause (e), in the table for serial number 11 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“11.	Selenium,µg	5-40	1–8.5”;

(3) In regulation 9,in clause (f) of sub-regulation (1), in the table,-

(i) for serial number 15 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“15.	Iron, mg	2-5.65	0.40–1.20”;

(ii) for serial number 23 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

"23.	Selenium,µg	5-40	1–8.5";

(4)In regulation 10,inclause (h) of sub-regulation (1), in the table,-

(i) for serial number 17 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

"17.	Biotin, µg	7.50-50	1.60–10.60";

(ii) for serial number 28 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

"28.	Manganese, µg	5-175	1-37.20
		5-400(for Lactose free Follow up Formula)	1-85.10(for Lactose free Follow up Formula)";

(iii) for serial number 29 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

"29.	Selenium,µg	5-40	1–8.5".

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./737/2022-23]

Note: The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. Stds./03/Notification (IFR)/FSSAI-2017, the dated 4th December, 2020 and subsequently amendedvide notification no. F. No. Std./SP-05/T(IFR-01) dated30th August, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.